



प्रेस नोट

दिनांक 04.04.2024

थाना चिकासी पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब व शराब निर्माण उपकरण सहित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण व बिक्री के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.04.2024 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा अभियुक्त हरिनारायण उर्फ हन्ना पुत्र नृपत अनुरागी के पास से 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ बरगड मोड नहर बहद ग्राम बरगढ से गिरफ्तार किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 65/2024 धारा 60 EX. ACT पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हरिनारायण उर्फ हन्ना पुत्र नृपत अनुरागी उम्र करीब 29 वर्ष नि0ग्राम सरसई थाना राठ जनपद हमीरपुर बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 18 क्वार्टर देशी शराब डूम ब्रांड नाजायज बरामद होना।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 77/21 धारा 380/411/457 भादसं0 थाना राठ
2. मु0अ0सं0 78/21 धारा 380/411/457 भादसं0 थाना राठ
3. मु0अ0सं0 79/21 धारा 380/411/457 भादसं0 थाना राठ
4. मु0अ0सं0 80/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना राठ
5. मु0अ0सं0 81/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ
6. मु0अ0सं0 449/21 धारा 323/504 भादसं0 थाना राठ
7. मु0अ0सं0 503/21 धारा 3(1) गैंग0 एक्ट थाना राठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सतीश कुमार शुक्ल
2. का0 अंकित साहू

